

महत्वपूर्ण

डीजी परिपत्र संख्या-14 / 2018

पुलिस महानिदेशक

उत्तर प्रदेश

1-तिलक मार्ग, लखनऊ

दिनांक: मार्च 30, 2018

ओ०पी० सिंह,  
आईपीएस



प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों से संबंधित शासन, मार्ग उच्च न्यायालय एवं मार्ग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा संदर्भित अनके महत्वपूर्ण, समयबद्ध एवं जटिल जॉचे/विवेचनाओं सम्पादित की जाती हैं।

2. संज्ञान में लाया गया है कि अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचकों को उनके द्वारा सम्पादित की जा रही जॉचे/विवेचनाओं में रथानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं किया जाता है, जिससे कि महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध जॉचे/विवेचनाओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किये जाने में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जो उचित नहीं है।

3. अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र० द्वारा की जा रही जॉचे/विवेचनाओं में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग के विवेचकों को रथानीय पुलिस द्वारा अपेक्षित सहयोग एवं जरूरत पड़ने पर जॉच/विवेचना की कार्यवाही/न्यायिक प्रक्रिया में योगदान प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ नियुक्त प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों को निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

4. उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

30.3.18  
(ओ०पी० सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,  
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1.पुलिस महानिदेशक, अप०शा०अप०अनु०वि०, उ०प्र० लखनऊ।
- 2.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
- 3.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस मानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।